FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प हरियाढाणा

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
श्रीमती ललीता लालर		महेन्द्र कुमार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–123/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29.10.2021	प्रार्थी ललीता लालर पुत्री हिम्मताराम जाति मेघवाल निवासी सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली ने राजस्व शिविर **कैम्प हरियाढाणा** में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1141 रकबा 0.7038 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1146 रकबा 2.6535 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 455 रकबा 1.3672 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 456 रकबा 2.6616 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 7. 3861 हैक्टैयर की आयी हुयी है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि को वादी के पिता हिम्मताराम पुत्र मुगनाराम जी जाति मेघवाल निवासी हरियाढाणा की थी। हिम्मताराम जी का देहान्त दिनांक 25.09.2011 को हो गया, उनक देहान्त का फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत किया गया। उसमें प्रार्थी का नाम ललीता लालर के बजाय लीला देवी लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम ललीता लालर है तथा सरकारी दस्तावेज भी ललीता लालर पुत्री हिम्मताराम के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में लीलादेवी के स्थान पर ललीता लालर पुत्री हिम्मताराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी ललीता लालर ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी ललीता लालर का आधारकार्ड, पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी की गयी अंकतालिका वर्ष 2010 ललीता लालर पुत्री हिम्मताराम, जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 [illegible] है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्रा[illegible]रियाढाणा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र दिनां[illegible] महेन्द्र कुमार पुत्र हिम्मताराम के ब[illegible] बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का [illegible] दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश कि[illegible] जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवे[illegible] किया कि मेरा तथा मेरे पति का नाम उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में लीलादेवी पुत्री हिम्मताराम गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मै कोई भी भूमि के सम्बंध में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:29 IST
Reason: SelfAttested

	सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित हो रही हूं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्वातेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम ललीता लालर पुत्री हिम्मताराम के बजाय लीला देवी पुत्री हिम्मताराम दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1141 रकबा 0.7038 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1146 रकबा 2.6535 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 455 रकबा 1.3672 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 456 रकबा 2.6616 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 7.3861 हैक्टैयर को खातेदारी भूमि में लीलादेवी पुत्री हिम्मताराम के स्थान पर ललीता लालर पुत्री हिम्मताराम की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम हरियाढाणा में खुले में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प हरियाढाणा

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी **बनाम**
प्रतिवादी

वादी	प्रतिवादी
ललीता लालर पुत्री हिम्मताराम जाति मेघवाल निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर	01 महेन्द्र कुमार पुत्र हिम्मताराम जाति मेघवाल निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा 02 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:29 IST
Reason: SelfAttested

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :— 123/2021

निर्णय **दिनांक** :— 29.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं, प्रतिवादी संख्या–2 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे”ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1141 रकबा 0.7038 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1146 रकबा 2.6535 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 455 रकबा 1.3672 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 456 रकबा 2.6616 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 7.3861 हैक्टैयर की खातेदारी भूमि में लीलादेवी पुत्री हिम्मताराम के स्थान पर ललीता लालर पुत्री हिम्मताराम की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.10.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:29 IST
Reason: SelfAttested